संख्या-8/5277 /12-3-2013-100(36)/2008टी.सी.

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: नवम्बर, 2013**

विषय- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि विभाग की कन्जरवेशन ऑफ रेनवाटर इन द वाटरशेड एरिया ऑफ सेंगर एण्ड रिन्द रीवर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवमुक्त धनराशि में से रू0-18403 हजार की धनराशि डिसैंक्शन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्र संख्या-रा.कृ.वि.यो./394/लेखा-12/2013-14, दिनांक 19.7.2013 एवं शासनादेश संख्या-956/12-3-2013-100(36)/2008टी.सी., दिनांक 16.4.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-956/12-3-2013-100(36)/2008 टी.सी., दिनांक 16.4.2013 द्वारा अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण- आयोजनागत-102-मृदा संरक्षण-11-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-1104-मृदा एवं जल संरक्षण की योजनायें के मानक मद-27-सब्सिडी में कन्जरवेशन ऑफ रेनवाटर इन द वाटरशेड एरिया ऑफ सेंगर एण्ड रिन्द रीवर योजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0-65280 हजार (रू0 छः करोड़ बावन लाख अस्सी हजार मात्र) में से रू0-18403 हजार (रू0 एक करोड़ चौरासी लाख तीन हजार मात्र) को डिसैंक्शन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त के फलस्वरूप कन्जरवेशन ऑफ रेनवाटर इन द वाटरशेड एरिया ऑफ सेंगर एण्ड रिन्द रीवर योजना हेतु मानक मद-27-सब्सिडी में स्वीकृत धनराशि रू0-65280 हजार के स्थान पर रू0-46877 हजार तथा मानक मद-27-सब्सिडी में स्वीकृत कुल धनराशि रू0-112470 हजार के स्थान पर रू0-94067 हजार अंकित पढ़ा जाय तथा शासनादेश द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि रू0-131843 हजार के स्थान पर रू0-113440 हजार अंकित पढ़ा जाय।

4- उक्त डिसैंक्शन की स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0-18403 (रू0 एक करोड़ चौरासी लाख तीन हजार मात्र) का आहरण कोषागार से न किया गया हो।

5- उक्त शासनादेश संख्या-956/12-3-2013-100(36)/ 2008टी.सी., दिनांक 16.4.2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

सं0-5277(1)/12-3-2013-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
10-वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
11-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in